22/3/22 पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप० । साक्ष्य प्रार्थी हेतु अवसर चाहा। वास्ते लाक्ष्य प्रार्थी पत्रावली दिनांक 21/4/22 को पेश हो।

21/4/22 पत्रावली पेश हुई। वकलाय उप IPO सा. दौर पर है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 13/5/22 को पेश हो।

13/5/22 पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप० । साक्ष्य हेतु अवसर चाहा। वास्ते साक्ष्य प्रार्थी पत्रावली दिनांक 14/6/22 को पेश हो।

14/6/22 वकील प्रार्थी उप० । साक्ष्य हेतु पुन: अवसर चाहा। वास्ते साक्ष्य प्रार्थी पत्रावली दिनांक 30/6/22 को पेश हो।

30/6/22 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 19/7/22 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुयी। वकील वादी की बहस एक पक्षीय सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय 29/07/22 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना
हरिप्रसाद V/s तहसीलदार (धारा 136) मु०नं. 340/2022

9/7/2022 पत्रावली आज वास्ते निर्णय / आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कथन किया था कि राजस्व ग्राम दलपतपुरा पटवार हल्का दलपतपुरा तहसील पाटन स्थित वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 310 की खातेदारी में प्रार्थी का नाम हरिराम पुत्र उमराव गलत दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम हरिप्रसाद पुत्र उमराव है। परन्तु नाम प्रार्थी का सही नाम राजस्व कार्मिकों ने सहवन से वादग्रस्त दर्ज करते समय राजस्व आराजी में प्रार्थी का नाम हरिराम पुत्र उमराव गलत दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड, राशन कार्ड, टीसी आदि की प्रतियां पेश की जिनमें प्रार्थी का सही नाम हरिप्रसाद पुत्र उमराव दर्ज है।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज है। खातेदार प्रार्थी के सही नाम की पुष्टि आधार कार्ड, राशन कार्ड, टीसी होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

प्रा0 पत्र0 340 / 2021
निर्णय दिनांक 29.07.2022

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है तथा निम्नानुसार दुरुस्ती के आदेश दिये जाते है:-

राजस्व ग्राम	भूमि का विवरण	वर्तमान प्रविष्टि	अमल दरामद की जाने वाली प्रविष्टि
छापर	खाता संख्या 310	हरिराम पुत्र उमराव	हरिप्रसाद पुत्र उमराव

शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। पत्रावली बाद फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Scanned with OKEN Scanner